

फॉर्म बी

गैर-वैयक्तिक सेवानिवृत्ति सलाहकार के रूप में पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु प्रमाण पत्र

प्रदान करने हेतु आवेदन

(कंपनी और सीमित देयता भागीदारी)

फॉर्म भरने के निर्देश -

1. कृपया इस फॉर्म को भरने से पहले पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 को ध्यान से देखें।
2. कृपया फॉर्म को सुपाठ्य लिखावट में भरें ताकि आपके आवेदन प्रक्रिया में कोई त्रुटि न हो। कृपया उपरिलेखन (ओवरराइट) न करें। सुधार रद्द करके और पुनः लिखकर किया जाना चाहिए और ऐसे सुधारों पर आवेदक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
3. आवेदकों को इन विनियमों की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट आवेदन शुल्क के साथ उचित सहायक दस्तावेजों के साथ विधिवत हस्ताक्षरित एक पूरा आवेदन पत्र पीएफआरडीए के नई दिल्ली स्थित प्रधान कार्यालय में जमा करना होगा।
4. किसी भी तरह से अपूर्ण और/या आवश्यक दस्तावेजों के बिना आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

भाग प्रथम

1. आवेदक का सामान्य विवरण

आवेदन का प्रकार (जो भी लागू हो उस पर (✓) निशान लगाएं)

नया आवेदन	हाँ	नहीं	नवीनीकरण आवेदन*	हाँ	नहीं
-----------	-----	------	-----------------	-----	------

*आवेदन के नवीनीकरण के मामले में, अतिरिक्त जानकारी या यदि मौजूदा जानकारी में कोई बदलाव है, तो सहायक

दस्तावेजों के साथ जमा किया जा सकता है।

1.1. आवेदक का विवरण

आवेदक का नाम	
पैन संख्या	
जीएसटी संख्या	
सिबिल रिपोर्ट और रैंक (आवेदन की तारीख से 6 महीने से अधिक पुरानी नहीं- वित्तीय संस्थानों एवं व्यावसायिक पत्राचार के अलावा अन्य आवेदकों के लिए)	

संपर्क के लिए पंजीकृत कार्यालय का पता	व्यवसाय का मुख्य स्थान (यदि भिन्न हो)
पता:	पता:
मोबाइल सं.	मोबाइल सं.
टेलीफोन	टेलीफोन
फैक्स सं.	फैक्स सं.
ई-मेल पता	ई-मेल पता
वेबसाइट (यदि कोई हो):	

1.2. आवेदक का संविधान/कानूनी ढांचा। उपयुक्त पर (✓) निशान लगाएं;

कंपनी		सीमित देयता भागीदारी	
-------	--	----------------------	--

1.3. निगमन और स्थापना का विवरण;

निगमन/स्थापना की तिथि और संगत अधिनियम	
निगमन/स्थापना का स्थान	
सीआईएन सं. /पंजीकरण सं.	

1.4. भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के साथ आवेदक के पंजीकरण का विवरण (पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)

पंजीकरण की श्रेणी	
नियामक प्राधिकरण (आरबीआई/सेबी/आईआरडीएआई)	
पंजीकरण संख्या	
पंजीकरण की तिथि	

1.5. भारतीय रिजर्व बैंक, या भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड, या भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के साथ पंजीकृत संबद्ध कंपनियों की सूची का विवरण (यदि आवेदक कंपनी है) [संदर्भ: पहली अनुसूची, -विनियम का बिंदु 2(आई)]

कंपनी का नाम	एसोसिएशन का प्रकार (सहायक/सहयोगी)	सीआईएन सं.	पंजीकरण की श्रेणी	नियामक प्राधिकरण	पंजीकरण संख्या

1.6. प्रमुख कार्मिकों की प्रोफाइल (यदि आवश्यक हो तो कृपया अलग शीट उपलब्ध कराएं)

विवरण	निदेशक	पदनामित निदेशक/ पदनामित भागीदार	अन्य व्यक्ति जो सेवानिवृत्ति सलाह प्रदान करते हैं	अनुपालन अधिकारी
i. नाम				
ii पद का नाम				
iii. पता				
iv. मोबाईल				
v ई-मेल पता				
vi पैन संख्या				
vii.धारण का प्रतिशत				
स्नातक स्तर की पढ़ाई का विवरण				
viii. पाठ्यक्रम/ योग्यता का नाम				
ix. संस्था का नाम				
x. संबद्ध विश्वविद्यालय				
xi. व्यवसायिक योग्यता (यदि आवेदक केवल सेबी निवेश सलाहकार (आईए), वकील/सॉलिसिटर, या चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए), या लागत लेखाकार (सीएमए), या कंपनी सचिव (सीएस) और बीमांकक (एक्जुअरी) हैं।				
xi(a). जारी/पंजीकरण की तिथि				
xi(b). सदस्यता संख्या				
xi(c). समाप्ति तिथि, यदि कोई हो				

- 1.7 वित्तीय उत्पादों, प्रतिभूतियों, फंड, परिसंपत्ति या पोर्टफोलियो प्रबंधन में सलाह के प्रावधान से संबंधित गतिविधियों में **प्रमुख कार्मिक** के योग्यता के बाद के अनुभव का विवरण।
- (संगत अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें)

प्रमुख कार्मिक का नाम	अनुभव का विस्तृत विवरण	अनुभव के वर्षों की संख्या

- 1.8 राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एनआईएसएम) द्वारा जारी सेवानिवृत्ति सलाहकार के प्रमाणन के संबंध में **प्रमुख कार्मिक** का विवरण। [यदि प्रमुख कार्मिक के पास बिंदु 1.6 (xi) में उल्लिखित कोई

योग्यता है तो यह अनिवार्य नहीं है]

विवरण	एनआईएसएम (आरए)
प्रमुख कार्मिक का नाम	
प्रमाण पत्र संख्या	
जारी करने की तिथि	
प्रमाण पत्र की समाप्ति तिथि	

- 1.9. मौजूदा ग्राहक आधार के साथ विस्तृत प्रस्तावित व्यवसाय योजना (वर्तमान वित्तीय वर्ष और अगले 2 वित्तीय वर्ष में खोले जाने वाले अपेक्षित एनपीएस खातों की संख्या)

मौजूदा ग्राहक आधार:

वित्तीय वर्ष	एनपीएस खाते खोले जाएंगे	व्यवसाय योजना का आधार
चालू वित्तीय वर्ष		
20 -20		
20 -20		

***आवेदन के नवीनीकरण के लिए अतिरिक्त जानकारी**

- 1.10. आवेदन के नवीनीकरण के मामले में भरा जाने वाला विवरण।

सेवानिवृत्ति सलाहकार पंजीकरण संख्या	
पंजीकरण समाप्ति तिथि का प्रमाण पत्र	
अब तक प्राप्त एनपीएस खातों की संख्या	
प्रमुख कार्मिकों के एनआईएसएम प्रमाणपत्रों की वैधता (प्रमाणपत्रों की प्रति संलग्न करें)	
आवेदक की मौजूदा गतिविधियों पर लिखें (नवीनीकरण आवेदन के लिए, मौजूदा सेवानिवृत्ति सलाहकार सेवाओं का विवरण प्रदान करें जिसमें ग्राहकों की संख्या और प्रकार, सलाह के तहत संपत्ति, राजस्व, लाभप्रदता, उत्पाद/सेवानिवृत्ति उत्पाद जिन पर सेवानिवृत्ति सलाह प्रदान की गई थी, आदि शामिल हैं)	

भाग द्वितीय

1. अन्य जानकारी/घोषणाएं/नियामक गतिविधियां:-

निम्नलिखित दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रति नीचे दिए गए क्रम के अनुसार एक अग्रेषण शीट में आवश्यक विवरण के साथ प्रस्ताव के साथ जमा की जानी चाहिए। प्रस्ताव के सभी पृष्ठों और पैराग्राफों को क्रमांकित किया जाना चाहिए और सभी कागजात उचित रूप से एक साथ बंधे होने चाहिए। प्रस्ताव के विभिन्न खंडों के संबंध में पृष्ठ संख्या आदि का विवरण देते हुए एक उचित अनुक्रमणिका तैयार किया जाना चाहिए।

1. अनिवार्य संलग्नक	
1.1 पैन कार्ड, जीएसटी प्रमाणपत्र, एमसीए के साथ पंजीकरण प्रमाणपत्र, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, अन्य नियामक प्राधिकरणों के साथ पंजीकरण विवरण आदि।	हाँ/नहीं
1.2 पैन कार्ड, आधार कार्ड, स्नातक प्रमाणपत्र, प्रमुख कार्मिक के योग्यता के बाद के अनुभव के दस्तावेज, एनआईएसएम/सेबी-निवेश सलाहकार (पंजीकरण का प्रमाण पत्र), वकील/ सॉलिसिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत लेखाकार, कंपनी सचिव और बीमांकक (एक्चुअरी) की व्यावसायिक योग्यता का समर्थन करने वाले दस्तावेज।	हाँ/नहीं
1.3 आवेदक/आवेदकों के शेयरधारिता पैटर्न का विवरण।	हाँ/नहीं
1.4 सेवानिवृत्ति सलाहकार सेवाएं शुरू करने के लिए कार्यालय के बुनियादी ढांचे, संचार और अनुसंधान सुविधाओं का विवरण।	हाँ/नहीं
1.5 वित्तीय संस्थानों और बैंकिंग कंपनियों के अलावा अन्य आवेदक के लिए सिबिल रिपोर्ट और रैंक (सिबिल से 6 महीने से अधिक पुरानी नहीं) ।	हाँ/नहीं
1.6 आवेदक द्वारा एक घोषणा कि आवेदक पांचवीं अनुसूची में निर्दिष्ट 'उपयुक्त तथा उचित' मानदंडों को पूरा करता है।	हाँ/नहीं
1.7 प्रमुख कार्मिक द्वारा एक घोषणा कि वे हमेशा विनियमन 7 और पांचवीं अनुसूची में निर्दिष्ट 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' मानदंडों के तहत योग्यता और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करना सुनिश्चित करेंगे।	हाँ/नहीं
अतिरिक्त अनुलग्नक, यदि लागू हो	
1.8 आवेदक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए किए गए किसी भी पिछले आवेदन का विवरण प्राधिकरण द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है।	हाँ/नहीं
1.9 आवेदक/संबद्ध कंपनियों को सेबी, आरबीआई, आईआरडीएआई या पीएफआरडीए द्वारा जारी पंजीकरण की प्रति।	हाँ/नहीं
	यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें

1.10 यदि आवेदक इन विनियमों के तहत आवेदन करने से पहले सेवानिवृत्ति सलाहकार सेवाओं में लगा हुआ है तो विवरण।	हाँ/नहीं
	यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें
1.11 यदि आवेदक बैंक या एनबीएफसी है तो सेवानिवृत्ति सलाहकार सेवाएं शुरू करने के लिए आरबीआई से अनुमोदन की प्रति।	हाँ/नहीं
	यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें
1.12 यदि सेबी, आरबीआई, आईआरडीएआई या पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत हैं तो संबद्ध कंपनियों की सूची।	हाँ/नहीं
	यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें
1.13 आवेदक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रकृति के लिए प्रासंगिक समझी जाने वाली कोई अन्य जानकारी।	हाँ/नहीं
	यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें

सेवानिवृत्ति सलाहकार आवेदक द्वारा उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए वचनबद्धता

(आवेदक के लेटर हेड पर विधिवत मुहर लगाकर और हस्ताक्षर करके जमा करना होगा)

{संदर्भ: पंजी. 6}

अनुसूची V

प्रति,

पीएफआरडीए

नई दिल्ली

मैं/हम, मैसर्स <.....> इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं/हम, हमारे निदेशक/साझेदार, अनुपालन अधिकारी और प्रमुख कार्मिक 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, किन्तु इन्हीं तक ही सीमित नहीं हैं:

- (क) वित्तीय सत्यनिष्ठा;
- (ख) दोषसिद्धि या नागरिक देनदारियों का न होना;
- (ग) सक्षमता;
- (घ) उत्तम प्रतिष्ठा और चरित्र;
- (ङ) दक्षता और ईमानदारी; और
- (च) वित्तीय विलेयता और शुद्ध मालियत (नेट वर्थ)

इसके अलावा, पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 की अनुसूची V और उसके संशोधनों के अनुसार, मैं/हम इस संबंध में निम्नलिखित की पुष्टि करते हैं:

- (i) आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 154 के तहत आपराधिक शिकायत या सूचना मुझे/हमें या हमारे निदेशकों/साझेदारों, अनुपालन अधिकारी और प्रमुख कार्मिक के विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा दायर **नहीं** की गई है और **न ही** लंबित है;
- (ii) आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों में किसी भी प्रवर्तन अभिकरण द्वारा मेरे/हमारे या हमारे निदेशकों/साझेदारों, अनुपालन अधिकारी और प्रमुख कार्मिक के विरुद्ध आरोप पत्र दायर **नहीं** किया गया है और **न ही** लंबित है;
- (iii) प्रतिभूति कानूनों या वित्तीय बाजारों या बीमा कानून से संबंधित किसी भी मामले में प्राधिकरण या किसी अन्य वित्तीय विनियामक या प्रवर्तन अभिकरण द्वारा मेरे/हमारे या हमारे निदेशकों/साझेदारों, अनुपालन अधिकारी और प्रमुख कार्मिक के विरुद्ध प्रतिबंध, निषेध या रोक का कोई आदेश पारित **नहीं** किया गया है और ऐसा कोई आदेश लागू **नहीं** है;
- (iv) प्राधिकरण द्वारा मेरे/हमारे या हमारे निदेशकों/साझेदारों, अनुपालन अधिकारी और प्रमुख कार्मिक के विरुद्ध कोई वसूली कार्यवाही शुरू **नहीं** की गई है और लंबित भी **नहीं** है;
- (v) मैं/हम, हमारे निदेशक/साझेदार, अनुपालन अधिकारी और प्रमुख कार्मिक को किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता या आर्थिक अपराध या धोखाधड़ी से जुड़े किसी भी अपराध के लिए किसी सज़ा का आदेश

पारित नहीं किया गया है;

(vi) मेरे/हमारे विरुद्ध समापन की कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या समापन का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है;

(vii) न तो मुझे/हम, हमारे निदेशकों/साझेदारों, अनुपालन अधिकारी और प्रमुख कार्मिक को दिवालिया घोषित किया गया है और न ही उन्मोचन किया गया है;

(viii) मुझे/हमें, हमारे निदेशकों/साझेदारों, अनुपालन अधिकारी और प्रमुख कर्मियों को सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा विकृत मस्तिष्क का नहीं पाया गया है और ऐसा कोई भी निर्णय लागू नहीं है;

(ix) मुझे/हमें, हमारे निदेशकों/साझेदारों, अनुपालन अधिकारी और प्रमुख कार्मिक को इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है;

(x) मुझे/हमें, हमारे निदेशकों/साझेदारों, अनुपालन अधिकारी और प्रमुख कार्मिक को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित नहीं किया गया है;

उपरोक्त जानकारी पीएफआरडीए को पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 और उसके तहत संशोधन के अंतर्गत सेवानिवृत्ति सलाहकार के रूप में पंजीकरण के लिए प्रदान की गई है। इसके अलावा, मैं/हम घोषणा करते हैं कि मैं/हम, हमारे निदेशक/साझेदार, अनुपालन अधिकारी और प्रमुख कार्मिक हर समय पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, उसके तहत अधिसूचित नियमों और विनियमों के साथ उनके संशोधनों और एनपीएस के संबंध में प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले सभी निर्देश/निदेश/दिशानिर्देश और परिपत्रों से बंधे रहेंगे।

की ओर से (आवेदक का नाम)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम	
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर	
आवेदक की मुहर/मुद्रांक	
स्थान	
दिनांक (दिन/माह/वर्ष)	

*कृपया जो लागू न हो उसे काट दें।

घोषणा

इस घोषणा पर कंपनी/सीमित देयता भागीदारी का प्रतिनिधित्व करने वाले आवेदक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाना है :

1. मैं/हम एतद्वारा सहमत हैं और घोषणा करते हैं कि संलग्नक शीट सहित आवेदन में दी गई जानकारी पूर्ण और सत्य है।
2. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैं/हम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 और उसमें संशोधन द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर उपयुक्त तथाउचित व्यक्ति हैं।
3. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मेरे/हमारे पास सेवानिवृत्ति सलाहकार की गतिविधियों को प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा है।
4. मैं/हम इस बात से भी सहमत हैं कि, मैं/हम आवेदन में दी गई जानकारी में किसी भी परिवर्तन के बारे में सात (7) दिनों के भीतर तुरंत प्राधिकरण को सूचित करेंगे। मैं/हम इस बात से भी सहमत हैं कि मैं/हम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियमन, 2016 सहित उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों, और प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले कोई दिशानिर्देश/परिपत्र/अधिसूचनाएं/निर्देश और निर्देशों का अनुपालन करेंगे और उनसे बंधे रहेंगे।
5. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैं/हम, हमारे प्रमुख कार्मिकों सहित, वर्तमान में विनियम 7 के तहत प्रमाणन और योग्यता आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं और हर समय अनुपालन सुनिश्चित करना जारी रखेंगे।
6. मैं/हम इस बात से भी सहमत हैं कि पंजीकरण की शर्त के रूप में, मैं/हम ऐसे परिचालन निर्देशों/विनिर्देशों का पालन करेंगे जो समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी किए जा सकते हैं।
7. मैं/हम आगे घोषणा करते हैं कि अंतर्निहित उत्पादों या प्रतिभूतियों के संबंध में जिसके लिए ग्राहक को सलाह प्रदान की गई है, मैं/हम सलाह दिए जाने वाले ग्राहक के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति से पारिश्रमिक या मुआवजे या किसी भी अन्य रूप में कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं करेंगे।
8. मैं/हम आगे घोषणा करते हैं कि मैं/हम हमेशा तीसरी अनुसूची पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 और उसमें संशोधन में निर्दिष्ट आचार संहिता का पालन करेंगे।

कंपनी के लिए और
उसकी ओर से
(आवेदक का नाम)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/आवेदक/
/भागीदार/निदेशक/

(हस्ताक्षर)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/आवेदक/
/भागीदार/निदेशक

(हस्ताक्षर)

स्थान :

दिनांक:

स्थान:

दिनांक:

सामान्य जानकारी

शुल्क (पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 [विनियम 9])

- | |
|---|
| 1. व्यक्तियों के अलावा प्रत्येक आवेदक को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने या नवीनीकरण के लिए आवेदन के साथ रुपये 1000/- (केवल एक हजार रुपये) लागू करें और लेवी के साथ, गैर-वापसीयोग्य आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। |
| 2. जो आवेदक व्यक्तियों यानी कंपनियों या सीमित देयता भागीदारी के अलावा अन्य हैं, उन्हें प्राधिकरण द्वारा प्रमाणपत्र प्रदान करने या नवीनीकरण के समय पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्क के रूप में करें और लेवी के साथ रुपये 5000/-(केवल पांच हजार रुपये) की राशि का भुगतान करना होगा। |
| 3. पैराग्राफ 2 और 3 में निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान आवेदक द्वारा प्राधिकरण से सूचना प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर 'पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण' के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/ऑनलाइन मोड द्वारा नई दिल्ली में देय या समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अनुसार किया जाएगा। |
| 4. इस अनुसूची के तहत शुल्क की मात्रा को प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर उचित परिपत्र, निर्देश या अधिसूचना जारी करके संशोधित किया जा सकता है। आवेदक को प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित लागू शुल्क का भुगतान करना होगा। |

FORM B

Application for grant of certificate for Registration/Renewal as Non- Individual Retirement Adviser

(Company and Limited Liability Partnerships)

INSTRUCTIONS FOR FILLING UP FORM –

1. Please refer the PFRDA (Retirement Adviser) Regulations, 2016, carefully before filling this form.
2. Please fill the form in legible handwriting so as to avoid errors in your application processing. Please do not overwrite. Corrections should be made by cancelling and re-writing and such corrections should be countersigned by the applicant.
3. Applicants must submit a completed application form duly signed together with appropriate supporting documents, accompanied by an application fee as specified in the Second Schedule to these regulations, to the PFRDA at its head office at New Delhi.
4. Applications incomplete in any respect and/or not accompanied by required documents are liable to be rejected.

Part I

1. General details of the applicant

Type of application [Tick (✓), whichever is applicable]

New Application	Yes	No	Renewal Application*	Yes	No
-----------------	-----	----	----------------------	-----	----

**In case of renewal of application, additional information or if there is any change in the existing information may be submitted, along with the supporting documents*

1.1. Applicant Details

Name of the Applicant	
PAN no	
GST no	
CIBIL Report & Rank (Not older than 6 months from the date of application – For applicants other than financial institutions and business correspondence)	
Registered Office address for Communication	Principal Place of Business (if different)
Address:	Address:
Mobile no.	Mobile no.
Telephone	Telephone
Fax No.	Fax No.
E-mail Address	E-mail Address
Website (if any):	

1.2. Constitution / Legal structure of applicant. Tick the appropriate one;

Company		Limited Liability Partnership	
---------	--	-------------------------------	--

1.3. Details of Incorporation and Establishment;

Date of Incorporation / Establishment and Corresponding Act	
Place of incorporation / Establishment	
CIN No./ Registration No.	

1.4. Details of registration of the applicant with Reserve Bank of India or Securities Exchange Board of India and Insurance Regulatory and Development Authority of India (Enclose copy of Certificate of Registration)

Category of registration	
Regulatory Authority (RBI/SEBI/IRDAI)	
Registration Number	
Date of registration	

1.5. Details of list of associated companies registered with Reserve Bank of India, or Securities Exchange Board of India, or Insurance Regulatory and Development Authority of India and Pension Fund Regulatory and Development Authority (**If the applicant is Company**) [Ref: first schedule, Point-2(I) of the Regulation]

Name of Company	Type of Association (Subsidiary/Associate)	CIN No.	Category of registration	Regulatory Authority	Registration No.

1.6. Profile of **Key Personnel** [Kindly provide separate sheet, if needed]

Particulars	Director	Designated director/ Designated Partner	Other persons who provide retirement advice	Compliance Officer
i. Name				
ii. Designation				
iii. Address				
iv. Mobile				
v. Email ID				
vi. PAN Number				

vii. Percentage of holding				
Details of Graduation				
viii. Name of course/qualification				
ix. Name of Institution				
x. Affiliated University				
xi. Professional Qualification <i>(If person is a SEBI Investment Adviser, or Advocate/Solicitor, or Chartered Accountant(CA), or Cost Accountant(CMA), or Company Secretary(CS), and Actuary only)</i>				
xi(a). Date of Issue/registration				
xi(b). Membership Number				
xi(c). Date of expiry, if any				

1.7. Details of Post Qualification Experience of **Key Personnel** in activities relating to provision of advice in financial products, securities, fund, asset or portfolio management. (Attach relevant experience certificate)

Name of Key Personnel	Detailed description of Experience	Number of years of experience

1.8. Details of **Key Personnel** regarding certification of Retirement Adviser issued by National Institute of Securities Markets (NISM). [*Not compulsory if Key Personnel possess any qualification mentioned in Point 1.6 (xi)*]

Details	NISM (RA)
Name of Key Personnel	
Certificate number	
Date of Issue	
Expiry date of certificate	

1.9. Detailed proposed business plan (number of expected NPS accounts to be opened in current FY and next 2 FYs) along with existing client base

The existing client base:

FY	NPS accounts to be opened	Basis for business plan
Current FY		
20 -20		
20 -20		

***Additional Information for renewal of application**

1.10. Details to be filled in case of renewal of application.

Retirement Adviser registration number	
Certificate of registration expiry date	
Number of NPS accounts sourced till date	
Validity of NISM Certificates of Key Personnel (Enclose copy of certificates)	
Writeup on the existing activities of the applicant <i>(For renewal application, provide details of existing retirement advisory services including number and type of subscribers, assets under advice, revenue, profitability, products/ retirement products on which retirement advice was provided, etc.)</i>	

PART II

1. OTHER INFORMATION/DECLARATIONS/ REGULATORY ACTIONS: -

The self-attested copy of the following documents should be submitted along with the proposal with required details in a forwarding sheet as per the order given below. All pages and paragraphs of the proposal should be numbered and all the papers should be properly bound together. A proper index should be prepared giving the details of page numbers etc. in respect of the different sections of the proposal.

1. Mandatory Enclosures	
1.1 PAN card, GST Certificate, Registration certificate with MCA, Memorandum of Association, Articles of Association, Registration details with other regulatory authorities, etc.	Yes/No
1.2. PAN card, Aadhar card, Graduation Certificate, Post qualification experience documents of Key Personnel, NISM/SEBI – Investment Adviser (Certificate of registration), documents supporting professional qualifications of advocate/solicitor, Chartered Accountant, Cost Accountant, Company Secretary and Actuary.	Yes/No
1.3. Details of shareholding pattern of the applicant/s	Yes/No
1.4. Details of office infrastructure, communication and research facilities for undertaking retirement advisory services.	Yes/No
1.5. CIBIL report & Rank (Not older than 6 months from CIBIL) For applicants other than financial institutions and banking companies.	Yes/No
1.6. A Declaration by the applicant that the applicant fulfils the ‘Fit and proper’ criteria specified in Fifth Schedule.	Yes/No

1.7. A Declaration by the Key Personnel that they shall always ensure to fulfil qualification and other requirements under regulation 7 and 'Fit and proper person' criteria specified in Fifth Schedule.	Yes/No
Additional Enclosures, if applicable	
1.8. Details of any previous application for grant of certificate made by any person directly or indirectly connected with the applicant has been rejected by the Authority	Yes/NA
1.9. Copy of the registration issued by SEBI, RBI, IRDAI or PFRDA to the applicant / associated companies.	Yes/No
	If Yes, provide the details
1.10. Details in case applicant is engaged in Retirement advisory services prior to making application under these regulations.	Yes/No
	If Yes, provide the details
1.11. Copy of approval from RBI for undertaking retirement advisory services in case applicant is a Bank or NBFC.	Yes/No
	If Yes, provide the details
1.12. List of associated companies if registered with SEBI, RBI, IRDAI or PFRDA.	Yes/No
	If Yes, provide the details
1.13. Any other information considered relevant to the nature of services to be rendered by the applicant.	Yes/No
	If Yes, provide the details

UNDERTAKING FOR FIT AND PROPER PERSON BY RETIREMENT ADVISER APPLICANT

(To be submitted on the letter head of the applicant duly stamped and signed)

**{Refer: Reg 6}
Schedule V**

To,

**PFRDA
New Delhi**

I/ We, M/s. <.....> hereby declare that I/ We, our directors/ partners, Compliance officer and Key Personnel are 'fit and proper person' including but not limited to the following criteria:

- (a) financial integrity;
- (b) absence of convictions or civil liabilities;
- (c) competence;
- (d) good reputation and character;
- (e) efficiency and honesty; and
- (f) financial solvency and net worth.

Further, as per Schedule V of the PFRDA (Retirement Advisers) Regulations, 2016 and amendments thereof, I/ We confirm the following in this regard:

- (i) No criminal complaint or information under section 154 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) has been filed against me/us or our directors/ partners, Compliance officer and Key Personnel by the Authority and which is pending;
- (ii) No charge sheet has been filed against me/us or our directors/ partners, Compliance officer and Key Personnel by any enforcement agency in matters concerning economic offences and is pending;
- (iii) **No** order of restraint, prohibition or debarment has been passed against me/us or our directors/ partners, Compliance officer and Key Personnel by the Authority or any other financial regulator or enforcement agency in any matter concerning securities laws or financial markets or insurance law and such order is in force;
- (iv) **No** recovery proceedings have been initiated by the Authority against me/us or our directors/ partners, Compliance officer and Key Personnel and are pending;
- (v) I/ We, our directors/ partners, Compliance officer and Key Personnel have **not** been convicted by a court for any offence involving moral turpitude or involving economic offences or fraud;
- (vi) **No** winding up proceedings have been initiated or an order for winding up has been passed against me/us;
- (vii) **Neither** I/ We, our directors/ partners, Compliance officer and Key Personnel have been declared insolvent and not discharged;
- (viii) I/ We, our directors/ partners, Compliance officer and Key Personnel have **not** been found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction and the finding is in force;
- (ix) I/ We, our directors/ partners, Compliance officer and Key Personnel have **not** been categorized as a willful defaulter;
- (x) I/ We, our directors/ partners, Compliance officer and Key Personnel have **not** been declared a fugitive economic offender;

The above information is provided to PFRDA for registration as Retirement Adviser under the PFRDA (Retirement Adviser) Regulations, 2016 and amendments thereunder. Further, I/We declare that I/ We, our directors/ partners, Compliance officer and Key Personnel shall be bound at all times by the provisions of the PFRDA Act, 2013, the rules and regulations notified thereunder, along with amendments thereof and all instructions/directions/guidelines and circulars that may be issued from time to time by the Authority in relation to NPS.

For on behalf of (Name of the applicant)

Name of the Authorised Signatory	
Signature and Seal of the Authorised Signatory	
Seal/Stamp of the Applicant	
Place	
Date (dd/mm/yy)	

*Please strike whichever is not applicable.

DECLARATION

THIS DECLARATION IS TO BE SIGNED BY APPLICANT / AUTHORISED SIGNATORY REPRESENTING THE COMPANY / LIMITED LIABILITY PARTNERSHIPS:

1. I/We hereby agree and declare that the information supplied in the application, including the attachment sheets, is complete and true.
2. I/We hereby declare that I/We, am/are fit and proper person/s based on the criteria as specified by Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) Regulations, 2016 and amendments thereon.
3. I/We hereby declare that I/We have the necessary infrastructure to effectively discharge the activities of a retirement adviser.
4. I/ we further agree that, I/we shall notify the Authority immediately within seven (7) days of any change in the information provided in the application. I/ We further agree that I/ we shall comply with, and be bound by the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 and the rules and regulations made there under including the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Advisers) Regulations, 2016, and any guidelines/circulars/notifications/directions and instructions as may be issued by the Authority from time to time.
5. I/We hereby declare that I/We, including our Key Personnel, currently comply with the certification and qualification requirements under Regulation 7 and shall continue to ensure with the compliance at all times.
6. I/ We further agree that as a condition of registration, I/ we shall abide by such operational instructions/directives as may be issued by the Authority from time to time.
7. I/ We further declare that I/ We shall not obtain any consideration by way of remuneration or compensation or any other form whatsoever, from any person other than the subscriber being advised, in respect of the underlying products or securities for which advice is provided to the subscriber.
8. I/We further declare that I/We shall always abide by the Code of Conduct as referred in Third Schedule Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Advisers) Regulations, 2016, and amendment thereon.

For and on
behalf of (Name
of the applicant)

Authorized signatory / Applicant /
/ Partner / Director /

(Signature)

Authorized signatory / Applicant /
Partner / Director

(Signature)

Place:

Date:

Place:

Date:

General Information

FEES (Pension Fund Regulatory and Development Authority (Retirement Adviser) Regulations, 2016 [Regulation 9])

1.	Every applicant other than individuals shall pay non-refundable application fees of Rs. 1000/- (One thousand rupees only) along with applicable taxes and levies thereon, along with the application for grant or renewal of certificate of registration.
2.	Applicants which are other than individuals i.e Companies or Limited Liability Partnership shall pay a sum of Rs. 5000/- (Five thousand rupees only) along with applicable taxes and levies thereon, as registration/ renewal fee at the time of grant or renewal of certificate by the Authority.
3.	The fee referred to in paragraph 2 and 3 shall be paid by the applicant within fifteen days from the date of receipt of intimation from the Authority by a demand draft/online mode in favour of 'PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY' payable at New Delhi or as specified by the Authority from time to time.
4.	The quantum of fee under this schedule may be revised by the Authority from time to time by issuing appropriate circulars, directions or notifications. The Applicant shall be required to pay the applicable fee as notified by the authority.